संख्या-29/2019/456/26-3-2019

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 30 जनवरी 2019

विषय:- **रिट याचिका संख्या-32947/एम0एस0/2018 एस.जी.एम. एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसायटी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-17.11.2018 के अनुपालन के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-3649/स.क./शिक्षा-अ/कोर्ट-2/1112/2018-19, दिनाक-29.01.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार शासनादेश संख्या-20/2019/322/26-3-2019, दिनांक-24.01.2019 को निरस्त करते हुये याची संस्था एस.जी.एम. एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल सोसायटी के वर्ष 2017-18 के ट्रान्जेक्शन फेल से सम्बन्धित 130 छात्रों की लम्बित छात्रवृत्ति हेतु **रू0-44.0929 लाख (रू0-चौवालीस लाख नौ हजार दौ सौ नब्बे मात्र)** की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि, जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी थी, से भुगतान की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृ.संख्या-29/2019/456 (1)/26-3-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।